न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

वि0न0 – 247/2021

अनवान :–

1. अशोक कुमार पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. अरूणकुमार पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. गिरदावरी पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
3. गुडडी पुत्री अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
4. रिलो पुत्री अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
5. दर्शना पुत्री अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
6. सुरेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
7. सगेरता पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
8. कान्ता पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बावत अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भानूप्रताप, वादीगण
श्री मुन्शीराम गोस्वामी प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 20/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 117/117 के मु0न0 1 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0न0 2 के किला न0 1 ता 14, 20, 21 मु0न0 4 के किला न0 1, 2, 9 ता 11, मु0न0 5 के किला न0 3 ता 7, 14 व 15 की कुल 10.879है0 खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1/16 हिस्सा व इसी प्रकार चक 5 जीजीएम के खाता सं0 5/3 के मु0न0 59 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24 , 25/1, 25/2 मु0न0 60 के किला न0 23 ता 25 की कुल 5.560है0 खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1/16 हिस्सा व इसी प्रकार चक मुन्सरी के खाता सं0 256/67 के खसरा सं0 358, 369, 370, 371, 375, 382 की कुल 8.233है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 10292/41165 हिस्सा तथा चक करनपुरा वारानी के खाता सं0 237/244 के खसरा सं0 56 की 8.043है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल

जिकल करने लगे। अतः वादीगण अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का कानूनी धिकारी है। यह ही विनाय मुख्तसर है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 117/117 के मु0न0 1 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0न0 2 के किला न0 1 ता 14, 20, 21 मु0न0 4 के किला न0 1, 2, 9 ता 11, मु0न0 5 के किला न0 3 ता 7, 14 व 15 की कुल 10.879है0 खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1/16 हिस्सा व इसी प्रकार चक 5 जीजीएम के खाता सं0 5/3 के मु0न0 59 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24 , 25/1, 25/2 मु0न0 60 के किला न0 23 ता 25 की कुल 5.560है0 खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1/16 हिस्सा व इसी प्रकार चक मुन्सरी के खाता सं0 256/67 के खसरा सं0 358, 369, 370, 371, 375, 382 की कुल 8.233है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 10292/41165 हिस्सा तथा चक करनपुरा बारानी के खाता सं0 237/244 के खसरा सं0 56 की 8.043है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 117/117 के मु0न0 1 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0न0 2 के किला न0 1 ता 14, 20, 21 मु0न0 4 के किला न0 1, 2, 9 ता 11, मु0न0 5 के किला न0 3 ता 7, 14 व 15 की कुल 10.879है0 खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1/16 हिस्सा व इसी प्रकार चक 5 जीजीएम के खाता सं0 5/3 के मु0न0 59 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24 , 25/1, 25/2 मु0न0 60 के किला न0 23 ता 25 की कुल 5.560है0 खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1/16 हिस्सा व इसी प्रकार चक मुन्सरी के खाता सं0 256/67 के खसरा सं0 358, 369, 370, 371, 375, 382 की कुल 8.233है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 10292/41165 हिस्सा तथा चक करनपुरा बारानी के खाता सं0 237/244 के खसरा सं0 56 की 8.043है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादीया सं0 1 गिरदावरी का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1अशोक कुमार व वादी सं0 2 अरूण कुमार को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि

भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/2/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 – 247 / 2021

अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. अरूणकुमार पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा। – वादीगण

बनाम

1. गिरदावरी पुत्री चेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
3. गुडडी पुत्री अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
4. सिलो पुत्री अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
5. दर्शना पुत्री अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
6. सुरेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
7. समेस्ता पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
8. कान्ता पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
9.
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा। – प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानूप्रताप व वकील प्रतिवादीगण श्री मुशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एमएसआर के खाता सं0 117 / 117 के मु0न0 1 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0न0 2 के किला न0 1 ता 14, 20, 21 मु0न0 4 के किला न0 1, 2, 9 ता 11, मु0न0 5 के किला न0 3 ता 7, 14 व 15 की कुल 10.879है0 खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1 / 16 हिस्सा व इसी प्रकार चक 5 जीजीएम के खाता सं0 5 / 3 के मु0न0 59 के किला न0 3, 4, 5 / 1, 5 / 2, 6 / 1, 6 / 2, 7, 8, 13, 14, 15 / 1, 15 / 2, 16 / 1, 16 / 2, 17 ता 24 , 25 / 1, 25 / 2 मु0न0 60 के किला न0 23 ता 25 की कुल 5.560है0 खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1 / 16 हिस्सा व इसी प्रकार चक मुन्सरी के खाता सं0 256 / 67 के खसरा सं0 358, 369, 370, 371, 375, 382 की कुल 8.233है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 10292 / 41165 हिस्सा तथा चक करनपुरा वारानी के खाता सं0 237 / 244 के खसरा सं0 56 की 8.043है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादीया सं0 1 के नाम 1 / 16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादीया सं0 1 गिरदावरी का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं01अशोक कुमार व वादी सं0 2 अरूण कुमार को वहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/2/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़